उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-69/2015/786/41-2015-37 यो0/15

लखनऊ दिनांक 25 मार्च, 2015

शुद्धि-ज्ञाप

चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद देवरिया के वि0ख0 पत्थरदेवा, ग्राम पकहा में श्री चतुर्भुज जी महाराज के पर्यटन विकास हेतु रू0 20.00 लाख (रूपया बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 56/2015/422/41-15-37 यो0/2015, दिनांक 19.03.2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2- शासनादेश सं0 56/2015/422/41-15-37 यो0/2015, दिनांक 19.03.2015 के प्रस्तर-3 की तीसरी पंक्ति में 14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास के स्थान पर त्रुटिवश 14-पर्यटन स्थलों का विकास अंकित हो गया है।

3- अत: शासनादेश सं0 56/2015/422/41-15-37 यो0/2015, दिनांक 19.03.2015 के प्रस्तर-3 की तीसरी पंक्ति में 14-पर्यटन स्थलों का विकास के स्थान पर 14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास पढा जाय। सम्बन्धित शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(श्याम मोहन तिवारी)

अनु सचिव।

संख्या-69/2015/786(1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- मण्डलायुक्त गोरखपुर।
6- जिलाधिकारी, देवरिया।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
8- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, देवरिया।
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)

अनु सचिव।

यू0ओ0

http://shasanadesh.up.nic.in